बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–07–05 / 2017– 749(9)/ स्वा0, पटना, दिनांक– 13/07/2019

डा0 नर्मदेश्वर झा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सदर अस्पताल, समस्तीपुर के विरूद्ध मार्च, 1994 से अपनी सेवानिवृति की तिथि–31.12.2014 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0–913(9), दिनांक–28.8.2017 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(B) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. समर्पित अधिगम में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होने के सबंध में स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया गया, परन्तु, फिर भी विभाग के द्वारा आरोप को प्रमाणित मानते हुए विभागीय पत्रांक–852(9), दिनांक–08.08.2018 द्वारा डा0 झा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी डा0 झा का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा, जो इस बात का द्योतक है कि उन्हें अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है।

3. सम्पूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई तथा पाया गया कि डा0 नर्मदेश्वर झा मार्च, 1994 से अपनी सेवानिवृति की तिथि–31.12.2014 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। यह आरोप प्रमाणित है। इनके द्वारा इस अवधि में कभी–भी वेतनादि प्राप्त करने का प्रयास या इसके लिए दावा नहीं किया गया। यदि डा0 झा सेवा में रहते तो इन्हें पाँच वर्षों से लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड दिया जाता। डा0 झा सम्प्रति सेवानिवृत हो चुके हैं।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–806, दिनांक–16.01.2018 की कंडिका 5(i) एवं (iv) के आलोक में पेंशन कटौती का निर्णय लिए जाने हेतु विभाग के प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकार हैं।

5. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(B) के तहत नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए डा0 झा का शत–प्रतिशत पेंशन एवं उपादान रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1062(9), दिनांक–20.09.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से दण्ड प्रस्ताव पर सहमति की मांग गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक–2335, दिनांक– 29.11.2018 एवं पत्रांक–71, दिनांक–09.04.2019 द्वारा इस आधार पर दण्ड प्रस्ताव पर अपना परामर्श उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया कि आयोग को चूंकि चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति में परामर्श का अधिकार नहीं है, इसलिए दण्ड देने की प्रस्ताव पर भी आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

6. अतः डा0 नर्मदेश्वर झा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सदर अस्पताल, समस्तीपुर का शत–प्रतिशत पेंशन एवं उपादान जब्त करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 749 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/07/2019

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/सिविल सर्जन, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– डा0 नर्मदेश्वर झा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सदर अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,9, एवं 10,17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/07/2019

सरकार के अवर सचिव